HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पशु चोरी के अभियोग में 03 अभियुक्तों को 06 माह का साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपये (कुल 30,000/- रू0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.02.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "पशु चोरी" के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1. कालू व 2. लीली पुत्रगण राजुद्दीन, 3. इरफान पुत्र रमजानी निवासीगण ग्राम सिरोधन थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा अपने गांव से पशु(भैंसा) चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 92/2017 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.05.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 18.02.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय CJ(JD) द्वितीय हापुड़ द्वारा 06 माह का साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपये (कुल 30,000/- रू0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सौरभ कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सुरेशपाल सिंह एवं पैरोकार का0 सन्नी कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 गीता सैनी का विशेष योगदान रहा।